फर्द अहकाम

शिवकुमार वगै0 बनाम रामानन्द वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रा0पत्र संख्या.......40../2025 प्रा0पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

जीसीएमएस संख्याः **2025**/102

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	(लगातार)	प्रार्थी की दलील उचित एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया एवं दिनांक 24/04/25 की आदेशिका में ख.स.न. 117/1845/1.00, 166/1.64, 164/1.17 हे. भूमि वाके मौजा पांचूडाला के स्थान पर "वाके मौजा कुंचका" दुरुस्त किया जाता है, सही किया जाता है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 30/05/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	
	30-5-25	... उभय पक्ष ... उप... देशानुसार पत्रावली ... 27-6-25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा	
	27/6/25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यो में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 14.7.25 को पेश हो।	
	14/07/25	प्रार्थीपक्ष प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय के दौरान बार-बार आवाज लगवाने के बाद भी प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र T.I. अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नक्शा से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	